



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)

वित्तीय कार्यालय, सागर (म.प्र.) - 470 003
Finance Department, Sagar, (M.P.) - 470 003
Phone : 07582-265826 - Fax : 264236, 264163

क्रं. : वित्त-लेखा / 2019 / 5451

15 अक्टूबर 2019


पंरिपत्र

विषय: विश्वविद्यालय से पेशन प्राप्त करने पेंशनरों द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के संबंध में।

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के सम्माननीय पेंशनरों (राज्यशासन एवं केन्द्रशासन) को यह सूचित किया जाता है कि वे 30 नवम्बर 2019 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय की पेंशन शाखा को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

उक्त लाइफ सर्टिफिकेट निम्नानुसार प्रेषित किया जा सकता है:-

- 1- Speed Post के माध्यम से Pension Section, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.)
- 2- assistant1registrar@gmail.com पर।
- 3- <https://jeevanpramaan.gov.in> पर।


प्रभारी कुलसचिव

प्रतिलिपि :

1. सभी पेंशनर्स।
2. संबंधित पत्रावली।
- ✓ 3. प्रभारी, आई.टी. सेल- वि.वि. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

प्रशासनिक कार्यालय, सागर (म.प्र.) - 470 003

Administrative Office, Sagar, (M.P.) - 470 003

Phone : 07582-265826 - Fax : 264236, 264163

पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र
(देखिए पैरा 18)

जीवन प्रमाण - पत्र

फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भुगतान आदेश क्रमांक
पेंशनर्स का नाम पिता/पति का नाम
बचत खाता क्रमांक बैंक का नाम बैंक शाखा का नाम
..... को देखा है और वह आज की तारीख को जीवित है।

स्थान.....

दिनांक.....

प्राधिकृत अधिकारी का

नाम.....

पद का नाम.....

मुहर.....

बेरोजगारी प्रमाण-पत्र

(राज्य सेवा प्रथम श्रेणी अधिकारियों तथा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा)

- मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने शासन की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात/बिना मंजूरी प्राप्त किये वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार कर लिया है।
- मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने शासन की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात/बिना मंजूरी प्राप्त किये भारत के बाहर किसी भी शासन के अधीन कोई नियोजन स्वीकार कर लिया है/स्वीकार नहीं किया है।
- मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने भारत में किसी भी शासन, राष्ट्रीयकृत बैंक, शासकीय सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त/स्थानीय निकाय के अधीन कोई नियोजन स्वीकार नहीं किया है।
- जो लागू न हो उसे काट दें। सेवानिवृत्त की तारीख से पहले दो वर्षों के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पेंशनभोगी का नाम.....

पेंशन भुगतान आदेश क्रमांक.....

पुनर्विवाह/विवाह न करने का प्रमाण-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि विवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले छः माह के दौरान विवाह नहीं किया है।
या

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा मैं वचन देती हूँ कि ऐसी किसी भी घटना की कोषागार/बैंक वि.वि. को तत्काल सूचना दे दूँगी।

केवल परिवार पेंशन पाने वाली विधवा के लिए ही लागू होगा तथा केवल एक ही बार प्रस्तुत किया जाएगा।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पेंशनभोगी का नाम.....

पेंशन भुगतान आदेश क्रमांक.....

मैं अपनी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा सही है।

स्थान.....

उत्तरदायी अधिकारी या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक..... नाम..... पद का नाम.....

पेंशनर का पूर्ण नाम..... पिता/पति का नाम.....

पेन नं..... मोबाईल नं.....

वर्तमान पता.....

बैंक खाता क्रं. एवं बैंक का नाम.....

P.P.O. No. आधार नं.....

हस्ताक्षर पेंशनर